प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013 प्र0सु0रि0स0 06
   दिनांक 30.09.2013
2. धारा 7,8,13 पी0सी0 एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 30.09.2013
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 30.09.2013 समय 4:45 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 12
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) थाने से दिशा एंव दूरी करीब 20 कि0मी0 पूर्व सब तहसील बरवाला
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता

   नाम विमल कुमार

   पिता का नाम श्री शत्रुघन शर्मा

   राष्ट्रीयता भारतीय

   व्यवसाय .

   पता मकान न0–2031 से 15 सी, चण्डीगढ़

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   1. राजीव कुमार टाईपिस्ट
   2. श्री महेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार बरवाला
   3. कंवर पाल कम्पयूटर आपरेटर
   4. जयवीर रीडर नायब तहसीलदार बरवाला

   लिंग पुरूष

   भाषा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे एस.एच.ओ. जी थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला विषयः– सरकारी कर्मचारियो द्वारा एक टाईपिस्ट की मार्फत रिश्वत लेने बारे व उक्त टाईपिस्ट द्वारा अस्टाम विक्रेता का लाईसैंस ना होते हुए अन्य स्टाम्प विक्रेता के लाईसैंस का अवैध तरीके से इस्तेमाल करने बारे । महोदय, निवेदन है कि भागो, शान्ति सपुत्रीयान रामचन्द्र पुत्र प्रभु निवासीयान गांव ढण्ढारडु तह0 व जिला पंचकूला ने अपनी भूमि मौजा ढण्ढारडु जिला पंचकूला के हक तर्क नामा के कागजात टाईप करवाने बारे

मुझको अपना मुख्तयारे खास नियुक्त किया था जिसकी फोटो प्रति साथ लफ है। यह कि मुख्तयारे खास की हैसियत से जब मै सभी कागजात लेकर सब तह बरवाला जिला पंचकूला के रीडर श्री जयवीर से मिला और उनको अपने कार्य के बारे मे बतलाया तो उसने मुझको तहसील के बाहर बैठे एक राजीव कुमार नायक व्यक्ति जो कि टाईप का कार्य करता है, के पास भेज दिया और कहा कि हक तर्क नामा के कागजात राजीव कुमार ही टाईप करेगा और कहा कि तहसील के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी फीस यानी रीडर, तहसीलदार व कम्पयुटर आपरेटर की फीस राजीव कुमार को ही दे देना हम बाद मे उससे ले लेंगे मुझको अहसास हुआ कि तहसील के सभी कर्मचारियों को राजीव कुमार के साथ रिश्वत लेने के मामले मे सभी कर्मचारियों की साठ गांठ है यह कि जब मै अन्यथा मेरे दो साथी रीडर जयवीर के कहे अनुसार राजीव कुमार से मिलें तो मैने अस्टाम भी स्वंय भी उसके जाली हस्ताक्षर कर बेच रहा है यानी कुलदीप सिंह अस्टाम विक्रेता का लाईसैंस अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा है जो कि कानून अपराध है । कुलदीप सिंह अस्टाम्प विक्रेता मौका पर हाजिर नही था इसके ईलावा राजीव कुमार ने अपनी दुकान के आगे राजीव कुमार एडवोकेट व कुलदीप सिंह अस्टाम्प विक्रेता का बोर्ड लगा रखा है। यह कि अगले दिन राजीव कुमार से मैने एक स्टाम्प न0 7138 तिथि 30.8.13 मु0–100/रू0 खरीद किया था जिस पर राजीव कुमार ने कुलदीप सिंह अस्टाम्प विक्रेता के डुपलीकेट हस्ताक्षर स्वय ही किये थे जिसकी फोटो मै शिकायत के साथ लफ कर रहा हूँ। राजीव कुमार ने मुझको हकतर्क नामा को टाईप करने तथा ड्राफटिड बाई करने की खुद की फीस मु0 500/–रू0 अस्टाम्प पेपर मु0 150/–रू0 मिलाकर तहसील मे लगने वालो तमाम सरकारी व गैर सरकारी फीस जिसमे नायब तहसीलदार, रीडर तथा कम्पयूटर आपरेटर की गैर सरकारी फीस समलियत है मु0 24–25,000रू0 बताई और कहा कि तमाम राशि उसी को देनी होगी तहसील के कर्मचारी बाहर के किसी व्यक्ति से फीस नही पकड़ते उपरोक्त वाका की मेरे पास सी.डी. मौजूद है जिसको मै इस शिकायत के साथ दे रहा हूँ । इस सी.डी. मे राजीव कुमार मुझसे मु0 25,000 रू0 की मांग नायब तहसीलदार, रीडर तथा कम्पयूटर आपरेटर को बतौर रिश्वत देने के लिए कर रहा है। सी.डी. मे रीडर श्री जयवीर तथा कम्पयूटर आपरेटर श्री कंवरपाल राजीव कुमार की दुकान मे मौजूद दिख रहे है। जबकि हकतर्क नामा कि केवल 50/–रू0 सरकारी फीस व 150/–रू0 कम्पयुटर फीस ही लगती है इसके ईलावा हकतर्क नामा पर सरकार की हिदायतो अनुसार केवल 15/–रू0 की स्टाम्प डियूटी ही लगती है राजीव कुमार खुद ही टाईपिंग का कार्य करता है और खुद ही ड्राफटिड बाई करता है इसके बाद जब मै फिर से तस्सली करने के लिए नायब तहसीलदार के रीडर श्री जयवीर तथा कम्पयूटर आपरेटर श्री कंवरपाल से मिला और उससे पूछा कि उनकी तथा नायब तहसीलदार तथा कम्पयूटर आपरेटर की तमाम सरकारी तथा गैर सरकारी फीस जो कि राजीव कुमार ने मुझको मुबलिक 25,000 रू0 बताई है , क्या वह राजीव कुमार को ही देनी है तो उन्होने कहा कि हमारी फीस काम करने के बाद दे देना और हमारे माध्यम से तहसीलदार से हकतर्क नामा पर साईन करवाकर आपको दे देगा उक्त वाका की भी सी.डी. मेरे पास मौजूद है जिसको मै इस शिकायत के साथ दे रहा हूँ राजीव कुमार द्वारा हकतर्क नामा कि जो कच्ची कापी तैयार की गई है उसको मै शिकायत के साथ लफ कर रहा हूँ। अतः मै उपरोक्त कर्मचारियों श्री जयवीर रीडर,नायब तहसीलदार श्री महेन्द्र सिंह व कम्पयूटर आपरेटर श्री कंवरपाल को यह रिश्वत की राशि नही देना चाहता और यदि रिश्वत नही दूंगा तो वह मेरे कार्य को नही होने देंगे मै राजीव कुमार उपरोक्त को रिश्वत की राशि देकर उसे रंगे हाथो पकडवाकर उपरोक्त सभी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी **हस्ताः–अग्रेजी** विमल कुमार पुत्र शत्रुघन शर्मा मकान न0 2031 से 15 सी. चण्डीगढ़ 09592792555 कार्यवाही पुलिसः– आज मन नि0 मय मुलाजमान नि0 सुरेश कुमार, एस.आई. पूण सिंह , ई. एच.सी. राजकुमार न0 360 अम्बाला, सि0 जसबीर न0 518 कुरूक्षेत्र, सि0 रविन्दर कुमार न0 1937 गुढ़गांव, बा सवारी गाड़ी सरकारी एच.आर.03 एल0 6883 चालक एच.सी. श्याम लाल न0 289 पंचकूला बराये विजिलैंस वर्क सैक्टर–6 पंचकूला हाजिर था कि अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम विमल कुमार उपरोक्त ने मुलाकि होकर मुख्यालय रा0चौ0ब्यूरो की कैनटिन मे एक लिखित दरखास्त टाईपशूदा मन निरीक्षक को पेश की उपरोक्त की तसदीक पर सरे जुर्म 7,8, पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाता है। रेडिंग पार्टी तैयार की गई दरखास्त उपरोक्त पर अभियोग अकिंत करवाने के लिए सि0 रविन्द्र कुमार न0 1937 गुड़गांव को थाना रा0चौ0ब्यूरो, सैक्टर–17, पंचंकूला भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करने उपरान्त न0

मुकदमा से सुचित किया जाये और नकुलात प्रथम रिपोर्ट उच्च अधिकारियों व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट की सेवा मे भिजवाई जावे व नकल मिसल पुलिस व असल तहरीर बर मौका भिजवाई जावे । मन निरीक्षक मय मुलाजमान मय मुदई व उसके साथी राजीव कुमार व तफतीशी बैग हमरा लेकर बा सवारी गाड़ी सरकारी बराये लेने रेड अनुमति व नियुक्ती डियूटी मैजीस्ट्रेट कार्यालय उपायुक्त पंचकूला का होता हूँ । **हस्ताः–** निरीक्षक राजपाल थाना रा0चौ0ब्यूरो, सैक्टर–17, पंचकूला दिनांक 30.9.13 एट 4:15 अज थाना उक्त तहरीर पर अभियोग करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियो की सेवा मे व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट की सेवा म तथा असल मिसल पुलिस व असल तहरीर बादस्त सि0 रन्विद्र कुमार न0 1937 गुड़गांव बरमौका भेजी जा रही है।

बादस्त सि0 रविन्द्र कुमार 1937 गुड़गांव

हस्ता / –
ए.एस.आई रामनिवास